संख्या– 195 / 65–1–2017–132 / 2014

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1)– निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2)– आयुक्त,
दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

(3)– कुलसचिव,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 28 अप्रैल, 2017

विषय : ''विकलांगजन विकास विभाग'' का नाम परिवर्तन कर ''दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग'' किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिवालय प्रशासन अनुभाग–1 (अधि0) के पत्र संख्या– 673 / बीस–1–ई–2017–यू0ओ0–154 / 14 दिनांक 26 अप्रैल, 2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा 'विकलांगजन विकास विभाग' का नाम परिवर्तित कर ''दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग'' एवं इसके अन्तर्गत आने वाले अनुभागों का नाम क्रमशः दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–1, 2 व 3 कर दिया गया है।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'विकलांगजन विकास विभाग' में जहाँ–जहाँ ''विकलांगजन विकास'' के शब्द का प्रयोग हो रहा है, वहाँ–वहाँ '' दिव्यांगजन सशक्तीकरण'' तथा जहाँ–जहाँ ''विकलांगजन'' के शब्द का प्रयोग हो रहा है, वहां–वहां ''दिव्यांगजन'' के शब्द का प्रयोग किया जायेगा। अतः भविष्य में इसी नाम से पत्राचार एवं इसका प्रयोग करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता),
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1) / 65–1–2017–तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग– 2 व 3
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय प्रशासन अनुभाग--1(अधि0)
संख्या-- 673 /बीस-1-ई-2017--यू0ओ0--85/17
लखनऊ: दिनांक : 26 अप्रैल, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

सचिवालय प्रशासन अनुभाग--1(अधि0) के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1135/ बीस-1-ई-2014-यू0ओ0-154/14, दिनांक 23 जुलाई, 2014 द्वारा विकलांग कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित करते हुए विकलांग जन विकास विभाग किया गया है।

2-- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस विभाग का नाम विकलांग जन सशक्तीकरण विभाग के स्थान पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग कर दिया गया है। अतः इस संबंध में लिये गये निर्णय के आलोक में तात्कालिक प्रभाव से विकलांग जन विकास विभाग का नाम परिवर्तित करते हुए एतदद्वारा **"दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग"** किया जाता है।

3-- विभाग का नाम परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप **"दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग"** के संबंधित अनुभागों का नाम क्रमशः दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1, 2 एवं 3 किया जाता है।

एन0एस0रवि,
अपर मुख्य सचिव।

संo:- 673 (I)/बीस-1-ई-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मा0 मंत्री/राज्यमंत्रीगण, उ0प्र0।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
8. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद।
9. उ0प्र0सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
11. निदेशक, सूचना, उ0प्र0, लखनऊ।
12. स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0, एन0बी0सी0सी0 प्लेस, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003 दो अतिरिक्त प्रति सहित इस अभ्युक्ति के साथ कि कृपया तदनुसार भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।
13. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(वी0के0सिंह)
उपसचिव।